भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 3376

दिनांक 26.03.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल हेतु मिशन स्तर पर कार्यक्रम

3376. श्री के॰ सी॰ राममूर्तिः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की पेयजल उपलब्धता के संबंध में मानकीकृत आंकड़े संग्रहित करने की योजना है;
(ख) क्या सरकार की पेयजल हेतु मिशन स्तर पर कार्यक्रम (एम एम पी) चलाने की योजना है, जैसा कि उसने 2014 में स्वच्छता के लिए चलाया था;
(ग) सुरक्षित पेयजल की महत्ता को केवल मूलभूत आवश्यकता के बजाय लोक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में बढ़ावा देने और पेयजल की अनुपलब्धता के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मौजूद कार्यक्रमों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(घ) कर्नाटक के विभिन्न जिलों जो गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं, की मदद के लिए मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री एस.एस. अहलूवालिया)

(क) जी हाँ। जल जैव भू-स्थलाकृतिक मानचित्रों का प्रयोग क्षेत्र में नए पेयजल स्रोतों का सटीक रूप से पता लगाने के लिए किया जा रहा है।
(ख) जी हाँ। मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) का पुनर्गठन किया है जिसमें ताकि इस मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक "हर घर जल" अर्थात् राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों के जरिये प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए रणनीतिक लक्ष्य 2017-2030 तैयार किया है। मंत्रालय का लक्ष्य अंततः 2030 तक ग्रामीण आबादी को नलजल आपूर्ति और घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराना है।
(ग) यह मंत्रालय राज्यों को सहायता गतिविधियों के लिए निधियां उपलब्ध कराता है (एनआरडीडब्ल्यूपी रिलीज का 5% की सीमा तक)। इस धनराशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर किया जा सकता है ताकि पैम्फलेटों का वितरण, श्रव्य-दृश्य मिडिया अभियान, होर्डिंग्स और अंतर-वैयक्तिक सम्पर्कों जैसे विभिन्न सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण (आईईसी) गतिविधियों के जरिए सुरक्षित पेयजल, पेयजल का विवेकपूर्ण उपयोग, जल का पुनः उपयोग और जल संरक्षण उपायों से संबंधित जागरूकता लाने हेतु अभियानों की शुरूआत की जा सके। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने विभिन्न बैठकों में राज्यों को यह सलाह दी है कि उन हैंडपंपों पर विशेष रूप से रंग चढ़ा दिया जाए जहां जल गुणवत्ता की समस्या है। स्वच्छता सर्वे कराना और जागरूकता सृजन हेतु फील्ड टेस्ट कीट का प्रयोग भी किया जा सकता है।
(घ) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है ताकि ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा किया जा सके। मंत्रालय ने वर्ष 2017-18 के दौरान कर्नाटक को 365.81 करोड़ रुपए जारी किए हैं ताकि राज्य में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं को शुरू किया जा सके और पेयजल के संकट का निपटान किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय ने राज्यों को किसी भी पूर्वाभासी पेयजल संकट के चलते आवश्यक उपाय करने के लिए एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी है।